न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 32/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
हिरीबाई पत्नी हजारीमल जाति हिरागर निवासी पेरवा तहसील बाली		1 जितेन्द्र कुमार पुत्र लच्छाराम जाति घांची निवासी पेरवा तहसील बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.' 12(3)राज./रास्ता/2013/1035 दिनांक 06.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 597 एवं 587 में से 15 फीट चौडाई की भूमि रास्ता हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। जबकि सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में खसरा नम्बर 585 उपलब्ध है, जिसमें से रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि में आवागमन करता है, जो भूमि रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि है। इस भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 596 की भूमि भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध है। इसके आगे खसरा नम्बर 588 में से होकर रेस्पोडेन्ट सीधे अपने मकान तक पहुँचता है, जो निकटमन एवं सुविधाजनक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर किसी प्रकार का विचार किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसकी खातेदारी भूमि किसी भी प्रकार से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वे अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बनाई गई है। मात्र रेस्पोडेन्ट के हितबद्ध व्यक्तियों के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाकर उसे स्वतन्त्र साक्ष्य का रूप देते हुए रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो औपचारिकता मात्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की पत्रावली कायम नहीं की गई तथा न ही न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग किया गया। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां सुविधाजनक मार्ग नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया, उसमें किस खसरे में से कितनी भूमि रास्ते हेतु प्रदान की गई, उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं समुचित जांच किऐ बिना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होना तथा निकटतम मार्ग अपीलाण्ट की भूमि में से प्रस्तावित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विक्रेतागण को तथा उसके पश्चात अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार बाली से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की है, उसमें नायब तहसीलदार ने यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट की भूमि में से पूर्व में रास्ता सुचारू था, जिसे अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा भूमि क्रय करने के बाद धोरा लगाकर बन्द कर दिया। यह स्थिति नायब तहसीलदार बाली की रिपोर्ट से साबित होती है। प्रकरण में विभिन्न स्तरों से मौका रिपोर्ट तलब की जा चुकी है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है। जांच रिपोर्ट में अपीलाण्ट के पुत्र मदनलाल के हस्ताक्षर है, इससे यह साबित होता है कि जांच रिपोर्ट अपीलाण्ट के कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य की उपस्थिति में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा के खसरा नम्बर 588 रकबा 1.03 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में आवागमन हेतु फुआ पुत्र कलीया, शांति, लेरकी पुत्रिया हंसिया, पकाराम, कूपाराम, घीसाराम पि0 शंकरिया, कन्या पुत्री शंकरिया जातिगण हीरागर निवासीगण पेरवा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 0.43 हैक्टेयर तथा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 597 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 04.12.2012 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 585 में से कदीम से रास्ता गुजर रहा है, जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पिता की सह खातेदारी भूमि है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग के रूप में खसरा नम्बर 596 भी उपलब्ध है, जिसमें से रास्ता दिया जा सकता है। इससे पूर्व ही उनके द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की जा चुकी थी। प्रकरण में सिलसिलेवार जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, समस्त जांच रिपोर्टो में आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12(3)राज./रास्ता/2013/1035 दिनांक 06.06.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली